

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
10.04.2023

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

60 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021

12.07.2021

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....आवेदक

बनाम

1—श्री गोविन्द साहू पुत्र श्री रामदेव साहू विक्रेता मैसर्स श्रवण लाल रामदेव साहू मीरा सर्किल  
दूनी जिला टोंक राज. निवासी चुंगी नाका एरिया दूनी जिला टोंक  
2—श्री रामदेव साहू प्रोपरायटर मैसर्स श्रवण लाल रामदेव साहू मीरा सर्किल दूनी जिला टोंक  
निवासी चुंगी नाका एरिया दूनी जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अभिभाषक श्री पंकज कुमार साहू उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 10.04.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2021 को समय 02:01 पी.एम पर मैसर्स श्रवण लाल रामदेव साहू मीरा सर्किल दूनी जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री गोविन्द साहू पुत्र श्री रामदेव साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गोविन्द साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता/मैनेजर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया एवं श्री रामदेव साहू को उक्त प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का गुलजार फ्रेश एण्ड नैचुरल ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnaka Abjosh Gulzar Fresh & Natural Brand) के 250-250 ग्राम के 15 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री गोविन्द साहू को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का गुलजार फ्रेश एण्ड नैचुरल ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnaka Abjosh Gulzar Fresh & Natural Brand) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 250-250 ग्राम के 4 नग विक्रेता की कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का गुलजार फ्रेश एण्ड नैचुरल ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnaka Abjosh Gulzar Fresh & Natural Brand) 250-250 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2833 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिफ नं. आई-2833 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा नमूना कय करते समय विक्रेता श्री गोविन्द साहू पुत्र श्री रामदेव साहू ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/1001 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./509/एक्ट/2021/571 दिनांक 07.04.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का गुलजार फ्रेश एण्ड नैचुरल ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnaka Abjosh Gulzar Fresh & Natural Brand) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री पंकज कुमार साहू एडवोकेट उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का गुलजार फ्रेश एण्ड नैचुरल ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnaka Abjosh Gulzar Fresh & Natural Brand) विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का गुलजार फ्रेश एण्ड नैचुरल ब्राण्ड (Dry Fruits Dakh Munnaka Abjosh Gulzar Fresh & Natural Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(जिव चरण मीना)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
टोंक  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0